/

राज बाला और ओआरएस।

बनाम

राकेजा बेगम और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 7604) 18 अक्टूबर, 2022

/

**[**बी**.** आर**.** गवई और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:s.166-क्षतिपूर्ति, निर्धारण-'प्रेम और स्नेह' के शीर्ष के अंतर्गत क्षतिपूर्ति, 'पत्नी के लिए पति-पत्नी संघ का नुकसान और' बच्चों के लिए माता-पिता संघ का नुकसान '-एक बस एक नदी में गिर गई जिसमें पीड़ित-मृत एक यात्री था और वह नदी में डूब गया-अपीलकर्ताओं, मृतक की पत्नी और बच्चों ने एस के अंतर्गत दावा याचिका दायर की।166 विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 2 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करने वाले अधिनियम के-न्यायाधिकरण ने पाया कि दुर्घटना लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी और 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 73,704 रुपये का जुर्माना लगाया-उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। 20,68,704-- अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःगुणा राशि तय करते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया-अभिलेख पर साक्ष्य से पता चला कि मृतक अपनी मृत्यु के समय 32 वर्ष का था और वह आर. पी. एफ. में हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था-भविष्य की संभावनाओं को नहीं गिनने का कोई औचित्य नहीं था जो उसकी असामयिक मृत्यु के लिए था-अपीलकर्ताओं का तर्क कि गणना उद्देश्य के लिए आय का निर्धारण करते समय मृतक के वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत जोड़ा जाना है, स्वीकार किया जाता है-मृतक के आयु वर्ग के संदर्भ में गुणा राशि और गुणक को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता रुपये की बढ़ी हुई राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 8,84,160-'निर्भरता की हानि' के शीर्ष के अंतर्गत -रु। 15, 000/- प्रत्येक अपीलार्थियों को 'संपत्ति की हानि' शीर्ष के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और 'अंतिम संस्कार के खर्च जो न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिए गए थे-इस अदालत के उदाहरणों के आलोक में, अपीलार्थी' संघ की हानि 'शीर्ष के अंतर्गत Rs.40,000/- प्राप्त करने का हकदार होगा-उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को' प्रेम और स्नेह 'शीर्ष के अंतर्गत दी गई राशि को' माता-पिता के संघ 'के खिलाफ समायोजित किया जाना है-इस प्रकार, अपीलार्थी Rs.10,29,260/- के बढ़े हुए मुआवजे के हकदार हैं, जिसका भुगतान प्रतिवादी संख्या द्वारा किया जाएगा।4 8 सप्ताह के भीतर।

/

/

/

/

/

/

1031 ए.

1032 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 14 एस. सी. आर.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा 'गुणक' तय करते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया था।अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु **32** वर्ष थी और वह रेलवे सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था।जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो उनकी असामयिक मृत्यु के अलावा भविष्य की संभावनाओं की गणना न करने का कोई औचित्य नहीं है।उक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अपीलार्थियों के इस तर्क को बरकरार रखा कि गणना के उद्देश्य से आय का निर्धारण करते समय मृतक के वास्तविक वेतन का **50** प्रतिशत जोड़ा जाना है।**[**पारस **8,9] [1035-**जी**-**एच**; 1036-**ए**,** डी**]**

/

/

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनामप्रणय सेठी और अन्य **2017** एसीजे **2700 (**एससी**);** सरला वर्मा और ओआरएस**.** वी**.**दिल्ली परिवहन निगम और एएनआर। **(2009) 6** एस**.** सी**.** सी **121 -**

पर भरोसा किया।

/

**2.** स्पष्ट रूप से, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने भी मृतक के आयु वर्ग के संदर्भ में 'गुणक' की सही पहचान की थी।**, 16** के रूप में **30** और **35** वर्ष के बीच।'निर्भरता के नुकसान' के लिए मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन करने पर, ऊपर बताए गए गुणक और गुणक को ध्यान में रखते हुए यह रु। **26,52,864-**।न्यायाधिकरण ने केवल एक करोड़ रुपये की राशि

दी है। **17,68,704-**वस्तुतः**,** गुणक विधि को लागू करने के बाद 'आय का कुल नुकसान' शीर्ष के अंतर्गत और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।इसलिए**,** 'निर्भरता की हानि' के शीर्ष के अंतर्गत अपीलार्थी रुपये की बढ़ी हुई राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। **8, 84, 160/- (26,52,864-17,68,704)**।इसके अलावा**,** न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा 'संपत्ति के नुकसान' और 'अंतिम संस्कार के खर्च' के लिए कोई राशि नहीं दी गई थी।इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार रु। **15, 000/-** प्रत्येक अपीलार्थी को 'संपत्ति की हानि' और 'अंतिम संस्कार के खर्च' शीर्षक के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।**[**पारस **12,13] [1037-**बी**-**ई**]**

/

/

/

**3.** तत्काल मामले में**,** उच्च न्यायालय द्वारा 'संघ के नुकसान' के लिए मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये का आदेश दिया गया था। **2** लाख **(**नाबालिग बच्चों को एक**-**एक लाख रुपये**)** 'प्यार की हानि और ए' शीर्षक के अंतर्गत ।

/

1033

राज बाला और ओआरएस. बनाम.राकेजा बेगम और ओआरएस।

स्नेह '।संविधान पीठ के बाध्यकारी निर्णय के आलोक में**,** 'संघ की हानि' शीर्ष के अंतर्गत मुआवजे के संबंध में अतिरिक्त राशि के अनुदान और 'प्रेम और स्नेह' के गैर**-**मौजूद शीर्ष के अंतर्गत मुआवजे के अनुदान में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।इसलिए**,** अपीलार्थी केवल एक लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं। **35, 000/-**।दूसरे शब्दों में**,** रु। **65, 000/-** उक्त शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से दिया जाता है और कटौती की जाती है। **[**पारस **17,18] [1039-**डी**-**एफ**]**

/

**4.** 'प्रेम और स्नेह' के शीर्ष के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे में हस्तक्षेप के प्रश्न पर विचार करते हुए**,** यह देखा गया कि 'प्रेम और स्नेह' के शीर्ष के अंतर्गत मुआवजा तब स्वीकार्य नहीं है जब 'पत्नी को पति**-**पत्नी के संघ के नुकसान और' बच्चों को माता**-**पिता के संघ के नुकसान 'के लिए मुआवजा स्वीकार्य हो।उक्त परिस्थितियों में**,** उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता **2** और **3** को 'प्रेम और स्नेह' शीर्ष के अंतर्गत दी गई एक**-**एक लाख रुपये की राशि में कटौती की आवश्यकता है और साथ ही**,** रु। **40, 000/-** प्रत्येक**,** इसमें से दिया जा सकता है**,** बल्कि**,** नाबालिग बच्चों को अनुदान योग्य 'माता**-**पिता के संघ' के खिलाफ

समायोजित किया जा सकता है।इस प्रकार**,** रुपये की राशि। **80, 000/-** समायोजित किया जाना है और नाबालिग बच्चों को दिया जा सकता है।**,** अपीलकर्ता संख्या **2** और **3** और रुपये की शेष राशि **1,20,000-**काटनी होगी।**[**पारस **19,20] [1039-**जी**; 1040-**बी**,** सी**-**डी**]**

/

/

/

जन भाई और ओ. आर. एस. वी.आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंस। कं. लिमिटेड 2022 एसीजे 203; मैग्मा जनरल इंस। कं. लिमिटेड बनाम।

नानू राम 2018 एसीजे 2782-संदर्भित।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 7604।

/

2013 के एफ. ए. ओ. सं. 5948 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेशों से।

राकेश कुमार यादव, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

अशोक माथुर, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

/

1034

/

[2022] 14 एस सी आर।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी**.** टी**.** रविकुमार जे**.**

1. अनुमति दी गई।

2. यह तत्काल अपील चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2013 के एफ. ए. ओ. No.5948 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24.08.2017 से उत्पन्न होती

है।अपीलार्थी-दावेदार जो क्रमशः मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ित की पत्नी और बच्चे हैं, उक्त निर्णय  और आदेश से असंतुष्ट और व्यथित हैं और उन्होंने मुआवजे की मात्रा बढ़ाने के लिए यह अपील दायर की है।

/

/

3. इस अपील के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः-

11.08.2009 पर, मृतक-सुदेश कुमार पंजीकरण संख्या वाली बस में यात्रियों में से एक था। जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम का जे. के.-01 वाई-0432, जम्मू से श्रीनगर की अपनी यात्रा पर, पहले प्रतिवादी के मृत पति द्वारा चलाया गया।लगभग 13 बजेः20 बस चिनाब नदी में गिर गई और श्री सुदेश कुमार नदी में डूब गए।अपीलार्थियों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना उतावलापन और लापरवाही से गाड़ी चलाने और परिणामस्वरूप बस के नियंत्रण खोने के कारण हुई थी।वह रेलवे सुरक्षा बल (संक्षेप में 'आर. पी. एफ.') में हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रहे थे और तब उनकी आयु 32 वर्ष थी।मृतक की मासिक आय Rs.20,000/- होने का दावा करते हुए अपीलकर्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (संक्षेप में 'मोटर वाहन अधिनियम') के अंतर्गत  दावा याचिका दायर की, जिसमें विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत Rs.50 लाख के कुल मुआवजे की मांग की गई।

/

/

/

4. साक्ष्य की सराहना पर, रेवाड़ी में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद, 'न्यायाधिकरण') ने पाया कि दुर्घटना मोहम्मद की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।रसिद, प्रथम उत्तरदाता का मृत पति।प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत पर, चौथे प्रतिवादी-राज्य सड़क परिवहन निगम को बस के मालिक को संयुक्त रूप से और मोहम्मद के साथ गंभीर रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था।रसिद, प्रथम प्रत्यर्थी के पति, पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए, याचिका दायर करने की तारीख से राशि की प्राप्ति तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ Rs.17,73,704/- के रूप में निर्धारित किया गया।

/

5. न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की अपर्याप्तता पर अपीलकर्ताओं द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय  ए के समक्ष हमला किया गया था।

/

राज बाला और ओआरएस. बनाम.राकेजा बेगम और ओआरएस। राज बाला और ओआरएस. बनाम.राकेजा बेगम और ओआरएस। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

और 2018 के एफ. ए. ओ. No.5948 में हरियाणा।आक्षेपित निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय ने मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन किया और रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया।वास्तव में, कुल मुआवजे का उच्च न्यायालय द्वारा Rs.20,68,704/- के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया गया था और न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि को उच्च न्यायालय द्वारा रु. 2,95,000-के उक्त आंकड़े पर पहुंचने के लिए काट लिया गया था।मुआवजे की बढ़ी हुई राशि। रुपये. 2,95,000-को दावा याचिका की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का आदेश दिया गया था।अपीलार्थी अभी भी महसूस करते हैं कि वे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 के अंतर्गत दिए जाने वाले उचित मुआवजे से वंचित हैं। इसलिए, शीर्षक अपील।

/

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील और प्रतिवादी संख्या 4, जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के विद्वान वकील को सुना।

/

7. अपीलार्थियों के अनुसार उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, बनाम प्रणय सेठी और अन्य 1 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय में जो निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, उनका पालन नहीं करने में गलती की थी, क्योंकि 'निर्भरता की हानि' के अंतर्गत देय राशि की मात्रा निर्धारित करते समय और देय मुआवजे के अन्य शीर्षों पर निर्णय लेते समय मृतक की भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया था।यह तर्क दिया जाता है कि 'संपत्ति की हानि' और 'अंतिम संस्कार के खर्च' शीर्षक के अंतर्गत कोई भी राशि नहीं दी गई थी।इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क होगा कि उच्च न्यायालय ने अपील में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत उचित मुआवजा दिया है और इसलिए मुआवजे में और वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि 'प्रेम और स्नेह की हानि' शीर्ष के अंतर्गत मुआवजा अस्वीकार्य है और 'संघ की हानि' शीर्ष के अंतर्गत केवल रु। 40, 000/- की अनुमति है।

/

/

/

प्रणय सेठी के मामले में निर्णय (ऊपर)।

8. हमने न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान से देखा है, जिसमें मुआवजे की राशि में एक लाख रुपये की वृद्धि की गई थी। 2,95,000-, पुनर्मूल्यांकन

पर।वे यह खुलासा करेंगे कि 'गुणक' तय करते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया था।अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु 32 वर्ष थी और वह आर. पी. एफ. में हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था। जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं,

/

1 2017 एसीजे 2700 (एससी)

/

1036

/

[2022] 14 एस सी आर।

प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में, उनकी असामयिक मृत्यु के अलावा भविष्य की संभावनाओं की गणना नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है।इस संदर्भ में उक्त निर्णय में निष्कर्ष संख्या (iii) निकालना योग्य है।जहाँ तक यह प्रासंगिक है, यह इस प्रकार हैः-

"आय का निर्धारण करते समय, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी। "

/

9. यह सच है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांकित 24.08.2017 है और प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) में निर्णय केवल 31.10.2017 पर दिया गया था।लेकिन फिर, तथ्य यह है कि निष्कर्ष संख्या (iii), जैसा कि ऊपर निकाला गया है, निर्णय में उजागर स्थिति के अनुमोदन के अलावा और कुछ नहीं है।

/

सरला वर्मा और ओआरएस**.** वी**.**दिल्ली परिवहन निगम और एएनआर। **2** अंदर

उक्त परिस्थितियों में, हमें अपीलार्थियों के इस तर्क को बरकरार रखने में कोई संकोच नहीं है कि गणना के उद्देश्य से आय का निर्धारण करते समय मृतक के वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत जोड़ा जाना है।

/

10. मृतक की मासिक आय को Rs.13,817/- के रूप में लिया गया था, हालांकि जुलाई, 2009 के महीने के वेतन प्रमाण पत्र से पता चलता है कि वह Rs.16,194/- निकाल रहा था।जाहिर है, टी. पी. टी., राशन का पैसा, पहाड़ी भत्ता और धुलाई भत्ता जैसे भत्तों में कटौती के बाद आय को Rs.13,817/- के रूप में लिया गया था।अपीलार्थियों ने विशेष रूप से यह नहीं बताया कि इस तरह के निर्धारण के मामले में उक्त घटकों में से किसकी गलती से कटौती की गई थी।

/

11. इस प्रकार, प्रणय सेठी के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के अनुसार, जब मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी और वह अपने वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत आय निर्धारित करने के उद्देश्य से स्थायी नौकरी कर रहा था।, Rs.13,817/- को वास्तविक आय में जोड़ा जाना चाहिए था। साथ ही, परिवार में आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए।, मासिक आय का 1/3 हिस्सा मृतक के व्यक्तिगत और जीवन यापन के खर्चों के लिए काटा जाना था।ऐसा प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि गुणक के निर्धारण के लिए, व्यक्तिगत और जीवन यापन के खर्चों के लिए कटौती सरला वर्मा के मामले (ऊपर) के पैराग्राफ 30 से 32 द्वारा निर्देशित की जाएगी।ऐसी कटौती और पुनर्मूल्यांकन के बाद,

/

/

2 (2009) 6 एससीसी 121 ए

/

1037

राज बाला और ओआरएस. बनाम.राकेजा बेगम और ओआरएस। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

परिवार (आश्रितों) के लिए योगदान रु. 1,65,810-प्रति वर्ष होगा।

12. स्पष्ट रूप से, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय  ने भी मृतक के आयु वर्ग के संदर्भ में 'गुणक' की सही पहचान की थी।, 16 के रूप में 30 और 35 वर्ष के बीच।यह स्पष्ट रूप से सरला वर्मा के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के संदर्भ में किया गया था।इसे केवल प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) में दर्ज निष्कर्ष संख्या '(vi)' को ध्यान में रखते हुए बरकरार रखा जाना है, जिसके तहत यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गुणक का निर्धारण सरला वर्मा के मामले (ऊपर) में संकेत के अनुसार होगा, जिसे निर्णय  के पैराग्राफ 42 के साथ पढ़ा जाएगा।'निर्भरता के नुकसान' के लिए मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन करने पर, ऊपर बताए गए गुणक और गुणक को ध्यान में रखते हुए यह रु। 26,52,864-।न्यायाधिकरण ने केवल एक करोड़ रुपये की राशि दी

है। 17,68,704-वस्तुतः, गुणक विधि को लागू करने के बाद 'आय का कुल नुकसान' शीर्ष के अंतर्गत और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।इसलिए, 'निर्भरता की हानि' के शीर्ष के अंतर्गत अपीलार्थी रुपये की बढ़ी हुई राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 8,84,160-(26,52,864-17,68,704)।

/

/

/

13. जाहिर है, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा भी 'संपत्ति के नुकसान' और 'अंतिम संस्कार के खर्च' के लिए कोई राशि नहीं दी गई थी।प्रणय सेठी के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के अनुसार पारंपरिक शीर्ष मुआवजे के अंतर्गत रु। 15, 000/- प्रत्येक, 'संपत्ति के नुकसान' और 'अंतिम संस्कार के खर्च' के लिए पुरस्कृत है।तदनुसार, रु। 15, 000/- प्रत्येक अपीलार्थी को 'संपत्ति की हानि' और 'अंतिम संस्कार के खर्च' शीर्षक के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

/

14. यह एक तथ्य है कि चौथे प्रतिवादी द्वारा इस तथ्य के बावजूद कोई अपील या प्रति-आपत्ति दायर नहीं की गई है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुसार 'संघ के नुकसान' के लिए एक लाख रुपये की राशि दी है, जबकि रु। 5, 000/- न्यायाधिकरण द्वारा उस शीर्ष के अंतर्गत प्रदान किया गया और रु। 2 लाख (अपीलकर्ता 2 और 3 में से प्रत्येक को एक लाख रुपये) 'प्यार और स्नेह की हानि' शीर्षक के अंतर्गत ।आम तौर पर, अपील या प्रति-आपत्ति के अभाव में, किसी भी शीर्ष के अंतर्गत मुआवजे के अनुदान पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।लेकिन, इस मामले में इस तरह का पाठ्यक्रम उचित नहीं है।ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने 'निर्भरता की हानि' शीर्ष के अंतर्गत मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन किया है और 'संपत्ति की हानि' और 'अंतिम संस्कार के खर्च' के लिए मुआवजे की अनुमति दी है, जिसे न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया है।जब अनुदान के लिए उक्त निर्णय पर भरोसा किया गया था

/

/

/

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत मुआवजे की वृद्धि, हम उक्त संविधान पीठ के किसी भी स्पष्ट उल्लंघन की दृष्टि नहीं खो सकते हैं।संक्षेप में, हम 'संघ की हानि' शीर्षक के अंतर्गत मुआवजे के अनुदान के संबंध में संविधान पीठ द्वारा निर्देशों के रूप में जारी किए गए निष्कर्षों की अनदेखी करने में उचित नहीं होंगे और साथ ही 'प्रेम और स्नेह की हानि' शीर्षक के अंतर्गत मुआवजा देने की अनिवार्यता के बारे में भी।

/

15. इस प्रासंगिक स्थिति में, हम सोचते हैं कि प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 57 में संविधान पीठ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना ही उचित है:-

"अधिनियम की धारा 168 "न्यायसंगत मुआवजे" की अवधारणा से संबंधित है और इसे स्वीकार्य कानूनी मानक पर निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समानता की नींव पर निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा निर्धारण कभी भी अंकगणितीय सटीकता में नहीं हो सकता है।यह कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है।इसका उद्देश्य एक व्यक्तिगत मामले में रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के आधार पर अंकगणितीय परिशुद्धता के लिए एक स्वीकार्य डिग्री की निकटता प्राप्त करना है।न्यायसंगत मुआवजे की अवधारणा को निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समानता के सिद्धांत के उल्लंघन के चश्मे से देखा जाना चाहिए।मृत्यु के मामले में, दावेदारों के कानूनी उत्तराधिकारी अप्रत्याशित परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।साथ ही, दिया गया मुआवजा मुआवजे के लिए माफी नहीं हो सकता है।यह एक मामूली रकम नहीं हो सकती।

/

/

/

16. इस प्रकार की गई टिप्पणियों के आलोक में और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि संविधान पीठ ने उक्त निर्णय में

राजेश और ओआरएस. वी. में निर्णय।राजबीर सिंह और अन्य। तीन में से तीन

/

न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि नाबालिग बच्चों के लिए 'अंतिम संस्कार के खर्च' और 'संघ के नुकसान' और 'देखभाल और मार्गदर्शन के नुकसान' के लिए रु। 25, 000/-, एक लाख रुपये और एक-एक लाख रुपये दिए जाने हैं और राजेश के मामले (उपरोक्त) में निर्णय लिया जाना है क्योंकि यह एक बाध्यकारी उदाहरण नहीं है, इस मामले पर आगे विचार करने की आवश्यकता है।प्रणय सेठी के मामले (उपरोक्त) में, संविधान पीठ ने आगे कहा कि 'संघ के नुकसान' और 'अंतिम संस्कार के खर्च' के लिए केवल रु। 40, 000/- और रु। 15, 000/- क्रमशः अनुदान

योग्य है।इसलिए भी, इसमें विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नाबालिग बच्चों के लिए 'देखभाल और मार्गदर्शन का नुकसान' मुआवजे के प्रमुख के रूप में मौजूद नहीं था।के अनुसार

/

3 (2013) 9 एससीसी 54 ए

/

1039

राज बाला और ओआरएस. बनाम.राकेजा बेगम और ओआरएस। [सी. टी. रविकुमार जे.] ए.

रुपये के स्थान पर उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय । 5, 000/- न्यायाधिकरण द्वारा 'संघ के नुकसान' के लिए एक लाख रुपये की राशि दी गई थी।'प्रेम और स्नेह की हानि' शीर्ष अंतर्गत जो फिर से नाबालिग बच्चों की 'देखभाल और मार्गदर्शन की हानि' के सामान्य शीर्ष के अंतर्गत आता है, न्यायाधिकरण ने कोई राशि प्रदान नहीं की।हालांकि, उच्च न्यायालय ने नाबालिग अपीलकर्ता 2 और 3 को 'प्रेम स्नेह की हानि' शीर्षक के अंतर्गत एक-एक लाख रुपये दिए हैं। प्रणय सेठी के मामले (उपरोक्त) को ध्यान में रखते हुए प्राप्त प्रासंगिक स्थिति में एम. ए. मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामलों में इस विधि के निर्णय का उल्लेख करना ही उचित है। 4 इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आम तौर पर विधि के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला उच्चतम विधि का निर्णय सभी मामलों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी स्तर पर लंबित हों, क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि उच्चतम विधि द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है, वह वास्तव में प्रारंभ से ही विधि है।

/

/

17. तत्काल मामले में 'संघ के नुकसान' के लिए मुआवजे के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा एक लाख रुपये का आदेश दिया गया था। 2 लाख (नाबालिग बच्चों को एक-एक लाख रुपये) 'प्यार और स्नेह की हानि' के शीर्ष के अंतर्गत ।हमारा विचार है कि संविधान पीठ के बाध्यकारी निर्णय के आलोक में, जिस पर हम पहले से ही अपीलार्थियों के पक्ष में लाभ देने के लिए निर्भर हैं, हम 'संघ की हानि' शीर्ष के अंतर्गत मुआवजे के संबंध में अतिरिक्त राशि के अनुदान और 'प्रेम और स्नेह' के गैर-मौजूद शीर्ष के अंतर्गत मुआवजे के अनुदान में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैं।
18. हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि 'संघ के नुकसान' के लिए रु। 5, 000/- न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किया गया था।इसलिए, प्रणय सेठी के मामले (उपरोक्त) में उक्त राशि के अतिरिक्त निर्णय के आलोक में, अपीलार्थी केवल एक लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने के

हकदार हैं। 35, 000/-।दूसरे शब्दों में, रु। 65, 000/- उक्त शीर्ष के अंतर्गत  अधिक राशि दी जाती है और उसकी कटौती की जानी चाहिए।

/

/

/

19. 'प्रेम और स्नेह' के शीर्ष के अंतर्गत  उच्च न्यायालय  द्वारा दिए गए मुआवजे में हस्तक्षेप के प्रश्न  पर विचार करते समय केवल दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख करना उचित है।

/

जन भाई और ओ. आर. एस. बनाम में इस न्यायालय  का।आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंस।

कं. लिमिटेड 5 स्पष्ट रूप से, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रणय सेठी के मामले (उपरोक्त) में संविधान पीठ ने केवल तीन पारंपरिक शीर्षों को मान्यता दी है जहां मुआवजा अधिनिर्णय योग्य है।, 'हानि

4 (2003) 7 एससीसी 517 5 2022 एसीजे 203

/



संपत्ति का ',' संघ का नुकसान 'और' अंतिम संस्कार का खर्च '।फिर, दोनों न्यायाधीश-पीठ ने मैग्मा में इस न्यायालय  के फैसले का उल्लेख किया

जनरल इंस। कं. लिमिटेड बनाम.नानू राम **6,** जो बदले में, वस्तुतः था

इसके बाद यूनाइटेड इंस में इस न्यायालय  की तीन न्यायाधीशों की पीठ आई। कं. लिमिटेड बनाम.सतिंदर कौर 7.इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जैसा कि मैग्मा के मामले (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, हालांकि 'प्रेम और स्नेह' के शीर्ष के अंतर्गत  मुआवजा 'पत्नी के लिए पति-पत्नी के संघ के नुकसान और' बच्चों के लिए माता-पिता के संघ के नुकसान 'के लिए अस्वीकार्य मुआवजा स्वीकार्य है।

/

20. इस प्रकार अभिनिर्धारित करने के बाद, जन भाई के मामले (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'माता-पिता के संघ के नुकसान' के लिए दी जाने वाली राशि प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित राशि के साथ एकरूपता में होनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, उक्त शीर्ष 'माता-पिता के संघ' के अंतर्गत देय राशि रुपये से अधिक नहीं होगी। 40, 000/- प्रति एकल बच्चा।उक्त परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता 2 और 3 को 'प्रेम और स्नेह' शीर्ष के अंतर्गत दी गई एक-एक लाख रुपये की राशि में कटौती की आवश्यकता है और साथ ही, रु। 40, 000/- प्रत्येक, इसमें से दिया जा सकता है, बल्कि, नाबालिग बच्चों को अनुदान योग्य 'माता-पिता के संघ' के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।इस प्रकार, रुपये की राशि। 80, 000/- समायोजित किया जाना है और नाबालिग बच्चों को दिया जा सकता है।, अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 और रुपये की शेष राशि 1,20,000- काटनी होगी।

/

/

21. उपरोक्त निष्कर्षों और निष्कर्षों के आलोक में श्री सुदेश कुमार की मृत्यु के कारण मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:-

/

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | आरडी | |
| | | |
| | | |
| | | |

/

/

6 2018 ACJ 2782 7 2020 ACJ 2131 A

/

1041

राज बाला और ओआरएस. बनाम.राकेजा बेगम और ओआरएस। [सी. टी. रविकुमार, जे.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अतिरिक्त मुआवजे में कटौती करने और अन्य अनुदान योग्य शीर्षों के प्रति परिणामी समायोजन करने के बाद। | रु. तक। 10,29,260 - |

/

/

22. नतीजतन, इस अपील को आंशिक रूप से निम्नानुसार अनुज्ञात गई हैः-

/

(I) अपीलार्थी Rs.10,29,260/- के मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के हकदार हैं।

(II) बढ़ी हुई राशि का भुगतान चौथे उत्तरदाता द्वारा आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा और विफलता की स्थिति में, बढ़ी हुई राशि पर इस अपील को दायर करने की तारीख से प्राप्ति की तारीख तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

/

23. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

/

/

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

/

/